भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 864

सोमवार, 7 फरवरी, 2022 / 18 माघ, 1943 (शक)

बीड़ी कामगार

864. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में बीड़ी बनाने वालों की आर्थिक स्थिति और कार्य से संबंधित स्वास्थ्य खतरों के बारे में कोई राज्य-वार अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बीड़ी बनाने वालों विशेषकर इस उद्योग में शामिल महिलाओं और नाबालिगों के लिए श्रम सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या बीड़ी बनाने वालों के लिए देश में उपलब्ध कल्याणकारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं के राज्य-वार लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास बीड़ी बनाने वालों को काम से संबंधित स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए वैकल्पिक कार्य प्रदान करने की कोई योजना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): उपलब्ध डेटा के अनुसार, देश में 49,82,294 पंजीकृत बीड़ी कामगार हैं। क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है। बीड़ी कामगारों के लिए एक श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) विद्यमान है। एलडब्ल्यूएस के संघटक निम्नानुसार हैं:-

(i) संपूर्ण देश में 10 (दस) अस्पतालों और 285 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा विशेषज्ञता उपचारों (जैसे कैंसर, क्षयरोग, हृदय रोग, गुरदा प्रत्यारोपण) के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ii) बीड़ी कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए कक्षा-I से कॉलेज/विश्वविद्यालय तक कक्षा/पाठ्यक्रम के आधार पर 250/- रुपये से 15,000/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता।

(iii) परिशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2016 के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए 25:60:15 के अनुपात में अर्थात क्रमश: 37,500 रु., 90,000 रु., तथा 22,500 रु. की तीन (03) किस्तों में 1,50,000/- रुपये (प्रति लाभार्थी) की आर्थिक सहायता। तथापि, अब आरआईएचएस का विलय प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ कर दिया गया है।

श्रम कल्याण योजना के लाभ बीड़ी कामगारों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो मांग प्रेरित होते हैं। अत:, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ सभी बीड़ी कामगारों को उनके द्वारा किसी भी समय अपेक्षित होने पर प्रदान किए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितजनों को वैकल्पिक नौकरियों में नियुक्त करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

*

****

अनुबंध

दिनांक 07.02.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 864 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम सं.	**क्षेत्र का नाम**	**बीड़ी कामगारों की संख्या**
1.	अहमदाबाद	**39011**
2.	अजमेर	**38791**
3.	इलाहाबाद	**412757**
4.	बैंगलोर	**295501**
5.	भुवनेश्वर	**208212**
6.	हैदराबाद	**458040**
7.	जबलपुर	**440556**
8.	कोलकाता	**1829203**
9.	गुवाहाटी	**24398**
10.	कन्नूर	**40276**
11.	नागपुर	**155089**
12.	पटना	**296972**
13.	रायपुर	**3893**
14.	तिरुनेलवेली	**603076**
15.	रांची	**136519**
	कुल	**4982294**

*****